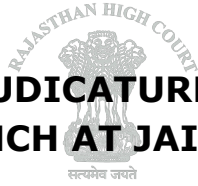


**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4427/2026

Pradeep Saini S/o Shri Jagdish Saini, Aged About 22 Years, R/o Baniya Ka Bagh, Jaipur Road, Chungi Police Station Aravali Vihar, Alwar, Rajasthan. (Presently Lodged In Central Jail, Alwar).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Girish Khandelwal
For Respondent(s) : Mr. Vivek Chaudhary, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

27/04/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना— थानागाजी, जिला— अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या— 193/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 307 भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में ऐसी कोई सारभूत साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर लूट कारित की हो। प्रथम सूचना रिपोर्ट में चार व्यक्तियों द्वारा लूट कारित करने के आक्षेप हैं, परंतु पुलिस द्वारा घटना में पांच व्यक्तियों की उपस्थिति दर्शित करते हुए कार्यवाही की गई है। प्रकरण में अन्य समानान्तर सहअभियुक्तगण हर्ष श्रीवास्तव, नकुल उर्फ गब्बू, माधव कुमार सैनी की जमानत याचिकाएं पूर्व में समकक्ष पीठ द्वारा विभिन्न आदेशों के माध्यम से स्वीकार की जा चुकी हैं एवं प्रार्थी/अभियुक्त का प्रकरण उक्त सहअभियुक्तगण के प्रकरण से भिन्नता रखते हुए नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त लंबे समय से अभिरक्षा में चल रहा है एवं प्रकरण के अनुसंधान/विचारण में

लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। प्रकरण में अन्य समानान्तर सहअभियुक्तगण हर्ष श्रीवास्तव, नकुल उर्फ गब्बू माधव कुमार सैनी की जमानत याचिकाएं पूर्व में समकक्ष पीठ द्वारा विभिन्न आदेशों के माध्यम से स्वीकार की जा चुकी हैं एवं प्रार्थी/अभियुक्त का प्रकरण उक्त सहअभियुक्तगण के प्रकरण से भिन्नता रखते हुए प्रकट नहीं होता है। प्रार्थी/अभियुक्त लंबे समय से अभिरक्षा में चल रहा है एवं प्रकरण के अनुसंधान/विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **प्रदीप सैनी पुत्र जगदीश सैनी** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J